न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/32/2024
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2024/57

अपीलार्थी :—
श्री योगेश चन्द सैनी पुत्र श्री सोहनलाल
निवासी— नयाबास हाल पता,
हाल पता सरकारी आईटीआई के गेट के पास
काली मोरी, हीराबास अलवर।

बनाम

प्रत्यर्थी :—
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर

प्रवेश तिथि :: 26.07.2024

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक:27.08.2024

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन—पत्र दिनांकः 04.04.2024 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अलवर से संबंधित सूचना की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने, सूचना से संतुष्ट नहीं होने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 25.07.2024 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस क्रमांक 664 दिनांक 01.08.2024 जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
7. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 04.04.2024 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में **नियमानुसार** अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत—पत्र के जरिये **निःशुल्क ही** अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 27.08.2024 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान
सरकार

अति0 जिला कलक्टर
(द्वितीय)अलवर (राज.)